

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के० तिवारी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/देवघर/हजारीबाग/मेदिनीनगर।
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

06/06/18

राँची, दिनांक:

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180800540545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य/	800-अन्य व्यय/ 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 49S470180800540545	23228.72

आवंटित राशि - ₹ दो सौ बत्तीस करोड़ अठाइस लाख बहत्तर हजार मात्र।।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध ₹ 30000.00 लाख (₹ तीन सौ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

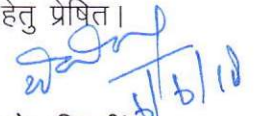

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 26

राँची, दिनांक :- 06/06/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर/दुमका/गोड्डा/गढ़वा/मेदिनीनगर/पलामू/हजारीबाग/तेनुघाट/बोकारो/सिमडेगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

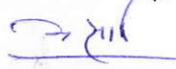

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 26

राँची, दिनांक :- 06/06/18

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख


(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक..... २६

दिनांक ०६/०६/१८

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय।

उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ईआरएम०

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S470180800540545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध ₹ 30000.00 लाख (₹ तीन सौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की			मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग	तक का व्यय		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	आवृत्ति राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवघर	मयुराक्षी बायां तट नहर प्रणाली के मुख्य नहर के पी.सी.सी. लाईनिंग कार्य हेतु E.R.M कार्य	5786.880	72 / 14-15 प्र.स्वी. दिनांक-25.10.14	4580.50	0.00	148.97	148.97	29539		
			दुमका जिलान्तर्गत दिमाल पहाड़ी जलाशय योजना के ईआरएम० कार्य अंतर्गत योजना के जीपीओद्वारा एवं नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु।	1107.958	55 / 16-17 प्र०स्वी०, दिनांक-28.09.2016	617.34	0.00	514.99	514.99	29546		
			पाकुड़ जिलान्तर्गत सूर्योदी जलाशय योजना के ईआरएम० कार्य हेतु।	1042.580	53 / 16-17 प्र०स्वी०, दिनांक-22.09.2016	467.93	0.00	463.03	463.03	29548		
				योग				0.00	1126.99	1126.99		
2	सिंचाई प्रमंडल, गोडडा शिविर महंगामा (GDDIRR001)	देवघर	गोडडा जिलान्तर्गत त्रिवेणी घीयर योजना के जीपीओद्वारा तथा मुख्य नहर के चेन सं० 0.00 से 1008 चेन तक पी०सी०वी० लाईनिंग कार्य (ईआरएम.)	6065.500	78/15-16 प्र.स्वी. दिनांक-29.03.2016	3599.95	0.00	1700.00	1700.00	29549		
				योग				0.00	1700.00	1700.00		
3	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR004)	मेदिनीनगर	खिरका जलाशय के ईआरएम. कार्य अन्तर्गत खिरका मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 12.83 तक का पुनर्स्थापन के साथ लाईनिंग कार्य हेतु।	1140.600	66/14-15 प्र.स्वी. दिनांक-21.10.2014	841.71	0.00	273.77	273.77	29555		
			मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत दानसो जलाशय योजना के ERM कार्य हेतु।	4028.600	69 / 16-17 प्र.स्वी. दिनांक-15.12.2016	398.18	0.00	2000.00	2000.00	29560		
			अन्तराज जलाशय योजना के ERM कार्य	9530.250	70 / 16-17 प्र.स्वी. दिनांक-15.12.2016	0.00	0.00	2500.00	2500.00	29566		
				योग				0.00	4773.77	4773.77		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूधे)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

वितीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध ₹ 30000.00 लाख (₹ तीन सौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	आवृत्त राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			सदावह सिंचाई योजना के ईआरएम कार्य हेतु	1235.250	53/5-16 प्र.स्वी. दिनांक - 05.02.2016	621.06	0.00	461.95	461.95	29571	
4	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIR003)	मेदिनीनगर	मुख्य अभियंता, जल ससाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्रांतर्गत बुटनडूबा जलाशय योजना के E.R.M कार्य	1254.110	52/5-16 प्र.स्वी. दिनांक - 05.02.2016	532.24	0.00	568.01	568.01	29576	
			जिजोई सिंचाई योजना के E.R.M कार्य	4294.550	66/5-16 प्र.स्वी. दिनांक - 17.03.2016	1115.48	0.00	2000.00	2000.00	29579	
			मलय जलाशय योजना के E.R.M कार्य	18592.000	88/16-17 प्र.स्वी. दिनांक - 06.03.2017	0.00	0.00	3500.00	3500.00	29580	
						योग	0.00	6529.96	6529.96		
5	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा (GRHARR001)	मेदिनीनगर	पण्डरवा जलाशय योजना के नहरों के जीर्णोद्धार, पक्कीकरण एवं विभिन्न संरचनाओं के मरम्मत कार्य	1021.780	94/16-17 प्र.स्वी. दिनांक - 29.03.2017	0.000	0.00	500.00	500.00	29581	
						योग	0.00	500.00	500.00		
6	अग्रिम योजना प्रमंडल, पलामू (PLMIR081)	मेदिनीनगर	उपरी करखार सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य	2962.000	39/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 15.09.2017	0.000	0.00	1000.00	1000.00	29582	
			घोरछण्डा वीथर योजना के नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य	831.000	14/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 01.06.2017	0.000	0.00	300.00	300.00	29583	
			बतरे जलाशय योजना के नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य	926.915	08/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 15.05.2017	0.000	0.00	300.00	300.00	29584	
						योग	0.00	1600.00	1600.00		
7	आयोजन एवं मोनिटोरिंग प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIR007)	मेदिनीनगर	नकटी-नाला सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य	438.410	17/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 19.06.2017	0.000	0.00	200.00	200.00	29585	
			रामघाट सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य	677.280	16/17-18 प्र.स्वी. दिनांक - 19.06.2017	0.000	0.00	300.00	300.00	29599	
						योग	0.00	500.00	500.00		
8	तेनुघाट बौध प्रमंडल, तेनुघाट (BKRRIR002)	हजारीबाग	गवई बराज योजना के पुनरुद्धार (E.R.M) कार्य हेतु	13054.400	74/5-16 प्र.स्वी. दिनांक - 21.03.2016	4449.00	0.00	2000.00	2000.00	29607	
			खुदिया वीथर योजना के पुनरुद्धार (E.R.M) कार्य हेतु	8515.250	05/16-17 प्र.स्वी. दिनांक - 12.04.2016	3000.00	0.00	1500.00	1500.00	29856	
						योग	0.00	3500.00	3500.00		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिगा)
अभियंता प्रमुख

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

विपत्र कोड- 49S470180800540545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध ₹ 30000.00 लाख (रु तीन सौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	आवृत्त राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	जलपथ प्रमंडल, बरही (HZBIR017)	हजारीबाग	बरही जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ई0आरएम0) कार्य हेतु। बरही जलाशय योजना के मुख्य नहर के 8.20 कि०मी० तक लाईनिंग सहित पुनरुद्धार (EIR) कार्य	5942.360	75/15-16 प्र.स्वी. दिनांक-29.03.2016 एवं 40/16-17, प्र.स्वी. दिनांक-16.08.2016	3880.36	0.00	2000.00	2000.00	29772	
				1542.999	77/16-17 प्र०स्वी०, दिनांक-17.01.2017	1354.90	0.00	188.00	188.00	29758	
योग				0.00		2188.00	2188.00				
10	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIR008)	हजारीबाग	धाघरा जलाशय योजना के नहरों के लाईनिंग सहित E.R.M कार्य	1916.859	82/14-15 प्र.स्वी. दिनांक-27.03.2015	797.98	0.00	700.00	700.00	29762	
योग				0.00		700.00	700.00				
11	जलपथ प्रमंडल सं०-1, सिमडेगा (SDGIR001)	राँची	तपकरा जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ई०आरएम) कार्य	1974.000	79/15-16 प्र.स्वी. दिनांक-31.03.2016	1347.24	0.00	110.00	110.00	29765	
योग				0.00		110.00	110.00				
कुल योग				0.00		23228.72	23228.72				

आवृत्त राशि - ₹ दो सौ बत्तीस करोड़ अठ्ठाइस लाख बहतर हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव